प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 20 अक्टूबर, 2022 विषय– वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रथम अनुपूरक मांग हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के प्रस्ताव पर शीघ्र विचार किया जाना सम्भावित है। इसके दृष्टिगत विभागवार अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। यह सूच्य है कि किसी अनुदान संख्या के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाली बचतें भी पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय करने हेतु उपलब्ध रहती हैं और बचतों की उपलब्धता होते हुए अनुपूरक बजट की व्यवस्था कराना ऑडिट की दृष्टि से आपत्तिजनक है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनर्विनियोग की सम्भावना न होने पर ही व्यय एवं बचत की सूचना (बी.एम.–8) सहित प्रथम अनुपूरक मांग हेतु मात्र वेतन, आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति, केन्द्र सहायतित योजनाओं, वाह्य सहायतित योजनाओं, वचनबद्ध व्यय, मा. मुख्यमंत्री घोषणा एवं राज्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी योजना/कार्य हेतु ऐसी धनराशि, जिसे चालू वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि में व्यय कर लिये जाने के प्रति प्रशासकीय विभाग वचनबद्धता व्यक्त कर सकें, ऐसे प्रस्ताव सचिव स्तर से IFMS Software पर अपलोड करते हुए E-Office के माध्यम से दिनांक 10.11.2022 तक वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. यदि विभाग में किसी CSS योजनान्तर्गत निर्धारित राज्यांश से अधिक की धनराशि top-up के रूप में SNA खाते में अवमुक्त की जा रही है, तो निदेशक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–1(13)/PFMS/2020 दिनांक 16.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) के प्रस्तर–3 में उल्लिखित विकल्प–1 के अनुसार आय–व्ययक में top-up part के लिये पृथक से बजट लाईन खोले जाने हेतु अनुपूरक बजट में नई मांग के माध्यम से नये लेखाशीर्षक सृजन का प्रस्ताव भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक –यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 20-10-2022 10:20:52
(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या– ——— /08(150)2015/XXVII(1)/2022 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

d from eOffice by PRAVEEN KUMAR, RO-FINANCE-PK, RO-FINANCE, Finance Department on 20/10/2022 10:25 AM

1. - सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. - सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. - बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. - निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें को इस आशय से प्रेषित कि वित्तीय वर्ष 2022—23 के अनुपूरक बजट हेतु IFMS software में आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।

(दिलीप जावलकर)
सचिव

ed from eOffice by PRAVEEN KUMAR, RO-FINANCE-PK, RO-FINANCE, Finance Department on 20/10/2022 10:25 AM

F. No 1(13)/PFMS/2020
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
****

New Delhi, 16th August, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Procedure for release of funds under Centrally Sponsored Schemes (CSS) and monitoring utilization of the funds released – procedure regarding State Government contribution in excess of the proportionate State share.**

The undersigned is directed to refer to this Department OM No. 1(13)/PFMS/FCD/2020 dated 23rd March, 2021 on the above mentioned subject.

2. As per aforesaid guidelines, for each Centrally Sponsored Scheme (CSS), Central and State share of funds are to be released to the SNA account in the ratio prescribed under the Scheme guidelines. However it has been brought to the notice that in certain CSS, some State Governments are releasing funds in excess of the prescribed proportion as 'top-up'. As a result, the Ministries/Departments are unable to assess the magnitude of transfer of Central and the proportionate State share to the SNA account and the utilization thereof from the data provided by the State treasuries.

3. The matter has been reviewed in consultation with the Departments/Ministries, the State Governments and O/o CGA and it has been decided that if a State Government wants to contribute an amount in excess of its proportionate share of funds under a CSS as 'top-up', the State may adopt one of the following options –

Option 1: State Governments should open a separate budget line for the 'top-up' part in the State budget and transfer the 'top-up' amount to the SNA account. Moreover, the State treasury while sharing data with PFMS must flag the 'top-up' share as 'T' in addition to flagging the Central and proportionate State share as 'C' and 'S' respectively.

OR

Option 2: State Governments may spend the 'top-up' amount through a separate budget line either directly from the State treasury or through a separate bank or other account, i.e. other than the bank account of SNA/IAs.

4. This issues with the approval of competent authority.

16/8/22
(Prateek Kumar Singh)
Director
Tel. No. 23094961

To

1. All Secretaries to the Government of India
2. Chief Secretaries of all States/UTs
3. Finance Secretaries of all States/UTs